

संख्या- 3729/15-7-94-161291/1994  
 \*\*\*\*\*

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,  
 उप सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
 शिक्षा ब्लॉक-2 समुदाय ब्लॉक,  
 प्रतिष्ठान बिहार नई दिल्ली ।

दिनांक 17 जनवरी

संख्या: दिनांक 4 जनवरी, 1995

विषय:- एसएससी विन्डोन एकाडेमी मुरादाबाद को सीओसीएससी नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अर्जापत्रित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि एसएससी विन्डोन एकाडेमी मुरादाबाद को सीओसीएससी नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अर्जापत्रित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताबूटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्धनसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति कार डि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्वेल्लिगेंस नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणकार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा गौरी बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातवीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

COUNTER SIGNED  
 SECRETARY  
 S.S. CHILDREN ACADEMY

PRINCIPAL  
 S.S. CHILDREN ACADEMY  
 (SENIOR SECONDARY)  
 MORADABAD

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय को आगामी तब में निजी भवन में संवाहित किया जायेगा । उक्त स्थिति की सुचना शासन को मई, 1995 तक उपलब्ध कराई जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली  
उप सचिव ।

सं० 3729111/15-7-1995 तद्विनांक  
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, ज्येष्ठ भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, एन०एन० विन्डुन एकाडेमी मुरादाबाद ।

आज्ञा है:

COUNTER SIGNED

SECRETARY/MANAGER  
S.S. CHILDREN ACADEMY

*Shyamwal*  
PRINCIPAL  
S.S. CHILDREN ACADEMY  
(SENIOR SECONDARY)  
MORADABAD

*Sharma*  
अशोक गांगुली  
उप सचिव ।